

प्रेस-नोट

Date:- 05/06/2021

गत दिनांक 02/02/2020 को दमन पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि, (1) मनोज धरमदेव केवर, उम्र 34 साल, पता - घर नं. 20, गाँव - सैदपुर, थाना - कुर्था, जिल्ला - अरवल, बिहार, (2) रींकुमारी सुरेश मांजी, उम्र 22 साल, पता - अलीपुर मार्केट के पास, मस्जिद के आगे, घर नं. 23, थाना - बुनियादगंज, जिल्ला - गया, बिहार वालोने शिकायतकर्ता को बहेलाकर एवं फुसलाकर डाभेल में आए हुए हिंगराज माता पहाड के पास ले गए थे और वहाँ पे आरोपीओने मार डालने के इरादे से शिकायतकर्ता के चहेरे पर किसी जहरिली स्प्रे लगाकर मनुष्यवध करने की कोशिश की थी और गंभीर चोट पहुँचाई थी। जिसके अंतर्गत नानी दमन पुलिस स्टेशन में धारा 307, 120(B), 397, r/w 34 भा. दं. संहिता के तहत गुन्हा दर्ज किया गया था और और आगे की तफ्तीश दमन पुलिस द्वारा चालू रखी गई।

तफ्तीस के दौरान SHO, नानी दमन पुलिस स्टेशन के मार्गदर्शन में एवं PSI - जय पटेल की नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया और अपराध में सामील एवं 2020 से गिरफ्तारी से वृद्धित दोनों अपराधी (1) मनोज धरमदेव केवर, उम्र 34 साल, पता - घर नं. 20, गाँव - सैदपुर, थाना - कुर्था, जिल्ला - अरवल, बिहार, (2) रींकुबेन सुरेश मांजी, उम्र 22 साल, पता - अलीपुर मार्केट के पास, मस्जिद के आगे, घर नं. 23, थाना - बुनियादगंज, जिल्ला - गया, बिहार वालो को बिहार से धरदबोचा और उनको आगे की तफ्तीस के लिए दोनों आरोपीओ को नानी दमन पुलिस थाना लाया गया और माननीय कोर्ट समक्ष प्रस्तुत करने की बाद माननीय कोर्ट साहबने इन दोनों अपराधियो को दिनांक 08/06/2021 तक की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है और आगे की तफ्तीश दमन पुलिस द्वारा जारी है।